



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/45/2018/एफ.सी./103

दिनांक: 11-5-18

सेवा में,  
विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/30203/2017

विषय: जनपद गोरखपुर में एन०एच०-29 के छोटे शहरी भाग (नौसढ़ चौराहे से बाघागाड़ा तक) किमी० 0.000 से 3.250 तक के फोर लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने के कार्य में प्रभावित 4.225 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 226 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक-3007/11सी - FP/UP/Road/30203/2017, Dated: 25-04-2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- 1- The SOI toposheet of proposal land to be diverted as well as CA land has not submitted.
- 2- As per GIS DSS analysis the area of CA land is 4.22 ha. which is less than area mentioned in project proposal.
- 3- Authorization letter in favour of the applicant officer has not been submitted in original.
- 4- Area calculation sheet along with remaining width of ROW on both sides of the proposed road has not been provided.
- 5- Cross sectional map of the proposed widening of the road has not been enclosed.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक(के.)